न्यायालय सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मानसिंह चूण्डावत, सेशन न्यायाधीश

विविध आपराधिक प्र.सं. – 348/2026 (सीआईएस.नं. 506/2026)

01. प्रदीप पुत्र मदन जीनगर उम्र 27 साल,

02. संदीप पुत्र मदन जीनगर उम्र 27 साल,

03. मदनलाल पुत्र जमनालाल जीनगर उम्र 60 साल,

सभी निवासीयान पानी की टंकी के पास घोसुण्डा पुलिस थाना चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक चित्तौड़गढ़

....अप्रार्थी

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

एफआईआर.सं. 153/2026 थाना चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़

अपराध अंतर्गत धारा 115(2),126(2),109,118(2),3(5) बी.एन.एस.

एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थित –

1. अभियुक्तगण की ओर से – श्री के एल वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता.

2. राज्य की ओर से – श्री एम.एल.दक, विद्वान लोक अभियोजक.

आदेश दिनांक – 19.08.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.07.2026 को परिवादी रजत जीनगर ने थाना चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़ पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रदीप जीनगर द्वारा उसके पिताजी रतनलाल जीनगर निवासी घोसुंडा पर तलवार से जानलेवा हमला किया, यह घटना घोसुंडा सदर बाजार प्रातः 9.00 पीए बजे दिनांक 12.07.2026 की है, उसके पिताजी, उसकी दादी कमला बाई और अंकल का कॉल आया उसके बाद घोसुंडा गये थे कि मदनलाल जीनगर एवं प्रदीप

''मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया''

जीनगर दोनों के साथ गाली गलोच एवं मारपीट कर रहे है। इस पर उसके पिताजी बीच बचाव करने गये, जहां पर प्रदीप जीनगर ने जानलेवा हमला एक धारदार तलवार से कर दिया, जिस पर उनके बांये हाथ का अंगूठा पूरी तरह से कट गया, जो श्री सांवरिया चिकित्सालय में उपचाररत है। जहाँ डाक्टर के अनुसार पूरा अंगूठा कटवाना पडेगा एवं आगे के उपचार के लिये उनको उदयपुर अथवा अन्य जगह रेफर करेंगे। हमारे मध्य पुश्तेनी जमीन विवाद के चलते आये दिन मारपीट करते रहते हैं,.....इत्यादि। इस पर प्रकरण दर्ज कर दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण को गिरफ्तार किया गया, जिनका जमानत आवेदन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 चित्तौड़गढ़ द्वारा खारिज किये जाने पर प्रार्थीगण ने यह जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है एवं उनको झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी या शिनाख्तगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त संदीप का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है । प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा भी इसी घटना के संबंध में परिवादी पक्ष के विरूद्ध क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है । प्रार्थी/अभियुक्त मदनलाल और परिवादी रजत के पिता रतनलाल सगे भाई हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रदीप एवं संदीप प्रार्थी/अभियुक्त मदनलाल के लडके हैं । दोनों पक्षों के मध्य पारिवारिक जमीन के बंटवारे का विवाद है । प्रार्थी/अभियुक्तगण का आशय किसी की हत्या का प्रयास करने का रहा है, ऐसा कोई भी तथ्य एफआईआर के अवलोकन से उजागर नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रदीप व संदीप नवयुवक हैं, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त मदनलाल वृद्ध व्यक्ति हैं । प्रार्थी/ अभियुक्तगण दिनांक 13.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगेगा । अंत में प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया ।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के पिता रतनलाल के साथ तलवार से मारपीट करके घोर उपहति कारित करने एवं हत्या का

प्रयास करने का आरोप है । अतः उन्होंने आरोपित अपराध को गंभीर होना बताते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया ।

4. सुना गया । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्तगण पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के पिता रतनलाल के साथ तलवार से मारपीट करके घोर उपहति कारित कर हत्या का प्रयास करने का आरोप है ।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय **Jameel Ahmad versus Mohammad Umair Mohammad Haroon and another 2022 Live Law (SC) 222** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

> "...**Ram Govind Upadhyay v. Sudarshan Singh, 2002 (3) SCC 598** sets out the relevant considerations for exercise of discretion, albeit, illustrative and not exhaustive, in the following words:
> "4. …(a) While granting bail the court has to keep in mind not only the nature of the accusations, but the severity of the punishment, if the accusation entails a conviction and the nature of evidence in support of the accusations.
> (b) Reasonable apprehensions of the witnesses being tampered with or the apprehension of there being a threat for the complainant should also weigh with the court in the matter of grant of bail.
> (c) While it is not expected to have the entire evidence establishing the guilt of the accused beyond reasonable doubt but there ought always to be a prima facie satisfaction of the court in support of the charge.
> (d) Frivolity in prosecution should always be considered and it is only the element of genuineness that shall have to be considered in the matter of grant of bail, and in the event of there being some doubt as to the genuineness of the prosecution, in the normal course of events, the accused is entitled to an order of bail."

हालांकि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं होना अनुसंधान पत्रावली से उजागर होता है। किन्तु प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा मजरुब रतनलाल के धारदार हथियार तलवार से वार करने से मजरूब रतनलाल के बांये हाथ का अंगूठा

कटकर लगभग अलग हो जाना अनुसंधान पत्रावली से प्रथम दृष्टया उजागर होता है । अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं मेडिकल दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्तगण का मजरूब रतनलाल की हत्या का प्रयास करने का आशय रहा होना प्रथम दृष्टया उजागर होता है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत, मजरुब के चोट प्रतिवेदन में अंकित चोटों व आरोपित अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

आदेश

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण 01. प्रदीप पुत्र मदन जीनगर उम्र 27 साल, 02. संदीप पुत्र मदन जीनगर उम्र 27 साल, एवं 03. मदनलाल पुत्र जमनालाल जीनगर उम्र 60 साल, सभी निवासीयान पानी की टंकी के पास घोसुण्डा पुलिस थाना चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

(मानसिंह चूण्डावत)
सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़

7. आदेश आज दिनांक 19.08.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मानसिंह चूण्डावत)
सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़

PRAHLAD RAI SOMANI
Digitally signed by PRAHLAD RAI SOMANI
Date: 2026.08.19 16:57:01 +0000

''मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया''